स्पेशल कोर्ट का आदेश हुआ रद आरोपितों को मिली सशर्त राहत

- रिश्वतखोरी मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- मामले में सीबीआइ स्पेशल कोर्ट ने दी थी सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः पीएफ (प्राविडेंट फंड) की राशि निकालने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ स्पेशल कोर्ट से दोषसिद्ध दो कर्मचारियों को गुरुवार को राहत मिली। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस रजनी दुबे ने स्पेशल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए आरोपितों को बरी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत पर रहने का निर्देश भी दिया है।

यह है पूरा मामलाः एसईसीएल सुराक्छार खदान के कार्मिक प्रबंधक कार्यालय में पदस्थ आरोपित कर्मचारियों पर एक बर्खास्त कर्मचारी ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। सीएमपीएफ राशि जारी करने के लिए उनसे पहले 10 हजार रुपये की मांग की गई थी। असमर्थता जताने पर 3 हजार रुपये लेने की बात कहकर दो हजार रुपये में बात तय हुई। शिकायत दर्ज होने के बाद सीबीआइ ने 8 नवंबर 2004 को ट्रैप कार्रवाई की और मामले में एफआइआर दर्ज कर ली। आरोप पत्र दायर होने के बाद सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपितों को आइपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) व 13(2) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें डेढ़ साल की कैद और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

● फाइल फोटो

हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश

हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और स्पेशल कोर्ट ने तथ्यों व साक्ष्यों की पर्याप्त सराहना नहीं की। जस्टिस रजनी दुबे ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश टिकाऊ नहीं है। इस आधार पर दोनों अपीलकर्ताओं को आरोपों से बरी कर दिया गया।

जमानत पर राहत, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य

कोर्ट ने हालांकि आरोपितों को यह शर्त भी लगाई कि वे 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का जमानतदार प्रस्तुत करेंगे। यह बंधपत्र 6 माह तक प्रभावी रहेगा। साथ ही, यदि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दायर की जाती है, तो आरोपितों को वहां उपस्थित होना होगा।

हाई कोर्ट में पेश हुए ये तर्क

दोनों दोषियों ने अधिवक्ता संदीप दुबे व अफरोज खान के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संदीप दुबे ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय कानूनन टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि, अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। रिश्वत की राशि कबाड़खाने (स्टोर रूम) से बरामद हुई, न कि आरोपितों के कब्जे से। सीबीआइ अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास है। इस आधार पर अधिवक्ता ने कहा कि आरोपितों को झूठा फंसाया गया है।